न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 02/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00012

उनवान

भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 चक्रपान सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरेह मोरी तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.2016 प्रकरण संख्या 03/2012 उनवान भूपेन्द्र कुमार बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री हरी सिंह बघेला अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र सिंह जादौन पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–27.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बरेह मोरी तहसील व जिला धौलपुर पर वादी एवं उसके पूर्व पुरूष स्व0 श्री चक्रपान सिंह का पिछले 50 वर्षो से संवत 2011 से निरन्तर निर्वाद रूप से आधिपत्यधारी होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं जिसकी प्रविष्टियॉ भी राजस्व अभिलेख में हो रही हैं। अतः विवादित भूमि पर लम्बे कब्जे के आधार पर एडवर्स पजेसन के आधार पर वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही विधिक रूप से अधिकार खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1) एए के तहत वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 01 लगायत 18 एवं मौखिक साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 से अपने वाद को बखूबी साबित किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। यह है कि हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर वादी अपीलाण्ट का कब्जा 50 सालो से होना अंकित किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट एवं उनके पूर्वज का संवत 2011 से कब्जा काश्त है। अतः वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपीलाण्ट को कानूनन विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार हासिल हो जाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किंये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलाण्ट का उस पर नाजायाज कब्जा है एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध समय समय पर 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखल किया जाता रहा है। अवैध कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर कोई स्वत्व नहीं बनता है एवं ना ही वह अवैध कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला गलत एवं मिथ्या है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित है कि वादी भूपेन्द्र सिंह उपस्थित आये। उक्त तथ्य को जब तक सत्य माना जावेगा तब तब अपीलाण्ट इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से असत्य साबित नहीं कर देते। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ बनाई गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u>– इस तनकी को साबित करने का भार वादी/अपीलाण्ट पर था। वादी/अपीलाण्ट द्वारा इस तनकी को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा विवादित भूमि के आवंटन/नियमन अथवा नोतोड होने संबंधी प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं ना ही अपने वाद पत्र में यह अंकित किया है कि विवादित भूमि उनके पूर्व पुरूषो को किस प्रकार आयी। वादी/अपीलाण्ट विवादित भूमि पर अपने पूर्व पुरूष चक्रपान का संवत 2011 से निरन्तर कब्जा काश्त एवं उनके निधन के पश्चात् अपना कब्जा काश्त बताते हुये खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहता है। परन्तु विवादित आराजीयात राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज है, जिस पर किसी व्यक्ति को कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार सृजित होने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

7. **तनकी संख्या 02**– अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी हम कोई हस्तक्षेप योग्य गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसा कि तनकी संख्या एक की विवेचना में आ चुका है। विवादित आराजी पर वादी/अपीलाण्ट के कोई खातेदारी अधिकार नहीं पाये गये हैं एवं बिना खातेदारी अधिकार वादी/अपीलाण्ट स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं होता है।

8. **तनकी संख्या 03**, इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी/रैस्पो0 पर था। वादी/अपीलांट का विवादित आराजी पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा काश्त रहा है एवं वादी/अपीलाण्ट को प्रतिवर्ष बेदखल किया जाना प्रतिवादी/रैस्पो0 ने साबित किया है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

9. **तनकी संख्या 04** उपरोक्त तनकी विवेचना के आधार पर इस तनकी की विवेचना किया जाना प्रांसगिक नहीं है।

10. **अनुतोष** :– समस्त तनकियों का निस्तारण किया जा चुका है। सभी तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी पाई गयी हैं। अपीलाण्ट/वादी अपने जिम्में की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट की यह आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला बाबत् हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट अंकित है कि वादी भूपेन्द्र सिंह उपस्थित आये। उक्त तथ्य तब तक सत्य माना जावेगा, तब तक वादी/अपीलाण्ट इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से असत्य साबित नहीं कर देते। अतः वादी/अपीलाण्ट की उक्त आपत्ति में हम कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नही पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से उपलब्ध साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुए, अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज किया है, जो तर्कसंगत है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.01.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–02/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)

भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 चकपान सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरेह मोरी तहसील व जिला धौलपुर।
..............अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार धौलपुर।

.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 14.06.2016 प्रकरण संख्या 03/2012 उनवान भूपेन्द्र कुभार बनाम सरकार।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री हरीसिंह बघेल अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री गजेन्द्र सिंह जादौन पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........27...........माह.........01........सन्..........2022.........के जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...भू प्रबन्ध अधिकारी,
औहदा...पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।